

मध्यप्रदेश गासन
गृह इसामान्यू विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ 20-11/2001/दो-स०३४

भोपाल, दिनांक 13/7/2001

प्रात,

गासन के समस्त विभाग,
अधिकारी, राजस्व मंडल, उदालियर
समस्त संभागाधिकारी,
समस्त विभागाधिकारी,
समस्त जिलाधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय :- दूरभाष देयकों के सत्यापन को जिम्मेदारों निर्धारण के संबंध में।

-000-

मंत्रालय में पदस्थ मान० मंत्रीगणों/आधिकारियों के निवास स्वं कायलियों में स्थापित दूरभाषों के देयकों के सत्यापन स्वं उसके भुगतान कराये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

११४ मान० मंत्रीगणों के पद छोड़ने स्वं आधिकारियों के स्थानांतरण के बाद, उनको कार्य अवाधि के देयक सत्यापन को जिम्मेदारों मान० मंत्रीगणों/आधिकारियों के निजी साचिव और याद निजी साचिव पदस्थ न हो तो उनके निजी सहायक का होगा, याद दूरभाष देयक के सत्यापन करने का कार्यवाहा का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया तो दूरभाष देयक को राख उनके वेतन से काटे जाने को कार्यवाहा को जावेगा।

१२५ मान० मंत्रीगणों के पद छोड़ने स्वं आधिकारियों के स्थानांतरण को सूचना तत्काल गृह विभाग को देने को जिम्मेदारों भी उनके निजी साचिवों स्वं निज सहायकों को होगा, ताकि उनके दूरभाषों को सैफ कस्टडी में रखने तथा अन्य को आवंटित करने का कार्यवाहा गृह विभाग द्वारा तत्काल को जा सके। याद ऐसा नहीं किया गया तो मान० मंत्रीगणों के पदभार छोड़ने या आधिकारियों का अवाधि से लेकर सूचित करने तक वो अवाधि के देयक का भुगतान उनके वेतन से कटौती से किया जावेगा। इस अवाधि के बाद के उस, अवाधि के देयकों का भुगतान जिस अवाधि में दूरभाष सैफ कस्टडी में

रखे गये या रहे, या आधिकारियों को आवंटित नहीं हो सके, अनुभाग आधिकारी गृह ईसामान्य विभाग के सत्यापन के बाद किया जावेगा।

३३ उपलब्ध निर्देशों के अनुसार गृह ईसामान्य विभाग द्वारा मा.मंत्रीगणों एवं मंत्रालय में पदस्थ आधिकारियों को दूरभाषों का आवंटन किया जाता है। केन्तु प्रशासकीय विभाग के अधीन किसी अधीनस्थ आधिकारियों को दूरभाष स्वोकृत करने के मामलों प्रशासकीय विभाग स्तर पर वित्त विभाग को सहमति से किया जावें। इसके लिए गृह विभाग को सहमति/स्वोकृति का आवश्यकता नहीं है।

३४ विभाग आयोगों के गठन के बाद भी दूरभाष स्वोकृति के प्रस्ताव गृह ईसामान्य विभाग को प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रस्तावों पर भी गृह विभाग के स्वोकृति की आवश्यकता नहीं है। अब आयोगों के लिये आवश्यक दूरभाष स्वोकृति पर प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग को सहमति से निर्णय लेने में सक्षम है। किसी विशेष मामले में याद प्रशासकीय विभाग आवश्यक समझे तो सामान्य प्रशासन विभाग को सहमति/मत अवश्य प्राप्त करें।

क्रमांक
१३३ अप्र०

बी.आर.ठाकरे

अवर सचिव

म.प्र.शासन, गृह ईसा. विभाग.

भोपाल, दिनांक 17/7/2001

पृ० क्रमांक स्फ 20-11/2001/दो-स०३३

इति लिखा:

- ३५ महायात्रिक राज्यपाल महोदय के सचिव, भोपाल.
 - ३६ निज सचिव, मा.न.मुख्यमंत्री/मा.न.समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण.
 - ३७ निज सचिव, मा.न. मध्यस्थ, म.प्र.विधानसभा, भोपाल.
 - ३८ सचिव, म.प्र.विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
 - ३९ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग.
 - ४० प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
 - ४१ राज्य आधिकारी, भारत संघार निवास ल.भोपाल/ कार्डिनाल तंचालक, भारती टेलीनेट ल.भोपाल।
- को और चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु अंग्रेजित।

क्रमांक
अवर सचिव

म.प्र.शासन, गृह ईसा. विभाग